Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-781/RJ/26/2023-SSW**

दिनांक: 28.02.2023

Shri B.S Detha
Principal Secretary
Higher and Technical Education
Govt. of Rajasthan
Secretariat, Main Building
जयपुर - (राजस्थान)

विषय: **राजस्थान सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के साथ भेदभाव करने के संबंध में - श्री राम फूल मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी, राजस्थान पोलिटेक्निक महाविदयालय, जिला-बांरा का दिनांक 10.01.2023 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री राम फूल मीणा** से दिनांक 10.01.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 **दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्री राम फूल मीणा,
   5, पवन विहार, जगतपुरा,
   जयपुर-302017 (राजस्थान)
   (मो नं. 9414620926)

   (अभ्यावेदन में उल्लिखित नियमों की प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।)

2. NIC, NCST (please upload on website)